सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा4(।) (ख) के अंतर्गत सूचना

1. संगठन एवं कार्य

क्र.सं.	**मदें**	**प्रकटीकरण का विवरण**	**प्रस्तावित जानकारी**
1.1	संगठन के कार्यों और कर्तव्यों का विवरण (धारा 4(1)(ख)(i)]	(i) संगठन का नाम एवं पता	**नेशनल शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एण्ड डेवलपमेन्ट कारपोरेशन (एनएसटीएफडीसी)**
		(ii) संगठन प्रमुख	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
		(iii) विजन,मिशन एवं प्रमुख उद्देश्य	**क. मिशन:** सतत आधार पर अनुसूचित जनजाति का आर्थिक विकास। **ख.उद्देश्य:** एनएसटीएफडीसी, अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करने के लिए एक शीर्ष संगठन है। एनएसटीएफडीसी के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार हैं- ➢ अनुसूचित जनजातियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक, कार्यकलापों की पहचान करना, ताकि स्वरोजगार के अवसर पैदा किए जा सकें और उनकी आय के स्तर में वृद्धि हो सके। ➢ संस्थागत तथा कार्यरत प्रशिक्षण दोनों के माध्यम से उनके कौशलों और प्रक्रियाओं का उन्नयन करना। ➢ अनुसूचित जनजाति के आर्थिक विकास संबंधी कार्यों में लगे विद्यमान राज्य / संघ राज्यक्षेत्र के अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगमों (एससीए) और अन्य विकासशील एजेंसियों को अधिक प्रभावी बनाना। ➢ राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को परियोजना तैयार करने और एनएसटीएफडीसी की सहायता प्राप्त योजनाओं का कार्यान्वयन करने तथा अपने कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण देने में सहायता प्रदान करना। ➢ एनएसटीएफडीसी से सहायता प्राप्त योजनाओं के कार्यान्वयन की मानीटरिंग करना ताकि उनके प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके।

क्र.सं.	मदें	प्रकटीकरण का विवरण	प्रस्तावित जानकारी
		(iv) कार्य एवं दायित्व	**कार्य** ➢ एनएसटीएफडीसी की रियायती योजनाओं के बारे में अनुसूचित जनजातियों में जागरूकता पैदा करना। ➢ लाभार्थियों और एससीए के कार्मिकों का कौशल विकास और क्षमता निर्माण के लिए सहायता प्रदान करना। ➢ पात्र अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए एससीए और अन्य एजेंसियों के माध्यम से व्यवहार्य आय पैदा करने वाली योजनाओं के लिए रियायती वित्त-व्यवस्था मुहैया करना। ➢ जनजातीय उपजों हेतु बाजार संपर्क के लिए सहायता करना। **दायित्व :** संगठन के लिए तय किए गए लक्ष्यों को पारदर्शी और प्रभावी तरीके से प्राप्त करना।
		(v) संगठन चार्ट	**संलग्नक "क"**
		(vi) कोई अन्य विवरण उत्पत्ति,स्थापना समय-समय पर विभागों और विभागों के प्रमुख का गठन तथा साथ ही साथ गठित समितियों /आयोगों का समय-समय पर निपटान	एनएसटीएफडीसी, नेशनल शेडयूल्ड कास्टस एवं शेडयूल्ड ट्राइब्स फाइनांस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के दो अलग निगमों में विभाजन होने के बाद अप्रैल,2001 में स्थापित हुई ।
1.2	अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्त्तव्य [धारा 4(1) (ख) (ii)]	(i)अधिकारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य (प्रशासनिक, वित्तीय एवं न्यायिक)	निदेशक मंडल को कंपनी के व्यवसाय, इसके अधिकारियों और कर्मचारियों के विनियमन के लिए उपविधियां बनाने, बदलने और निरस्त करने की शक्ति है। तदनुसार, निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर नियम और विनियम बनाए जाते हैं तथा कंपनी के अधिकारियों को प्रत्यायोजित किए जाते हैं।
		(ii) अन्य कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य	लागू नहीं

क्र.सं.	मदें	प्रकटीकरण का विवरण	प्रस्तावित जानकारी
		(iii) नियम/आदेश जिसके तहत शक्तियों और कर्तव्य प्राप्त होते हैं और	1.2(i). के समान
		(iv) कार्य हो गया	--
		(v) कार्य आबंटन	प्रकार्यात्मक प्रमुखों को कार्य आबंटित किया जाता है और वे सौंपे गए कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं। निगम के चार आंचलिक कार्यालय हैं तथा निगम के आंचलिक अधिकारियों को मुख्य रूप से राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों और राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करने की भूमिका सौंपी गई है।
1.3	निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया धारा (4(1)(ख)(iii)]	(i) निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रमुख निर्णय लेने वाले बिंदुओं की पहचान करें ।	निदेशक मंडल को कंपनी के व्यवसाय, इसके अधिकारियों और कर्मचारियों के विनियमन के लिए उपविधियां बनाने, बदलने और निरस्त करने की शक्ति है। तदनुसार, निदेशक मंडल द्वारा समय-समय पर नियम और विनियम बनाए जाते हैं तथा कंपनी के अधिकारियों को प्रत्यायोजित किए जाते हैं। निदेशक मंडल की शक्तियों का विवरण कंपनी के संगम ज्ञापन और संस्था के अंतर्नियमों में दिया गया है। ये विवरण वेबसाइट: **www.nstfdc.tribal.gov.in** में उपलब्ध है।
		(ii) अंतिम निर्णय लेने वाले प्राधिकारी	निदेशक मंडल सक्षम प्राधिकारी द्वारा तैयार किए गए नियमों और विनियमों को ध्यान में रखते हुए संबंधित विभाग द्वारा मामलों पर कार्रवाई की जाती है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए अनुमोदन के आधार पर संबंधित विभाग द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए कार्रवाई की जाती है।
		(iii) संबंधित प्रावधान, अधिनियम,नियम आदि ।	कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधान, संस्था के संगम,ज्ञापन एवं अंतर्नियम भारत सरकार /मंत्रालयों / विभागों /डीपीई दिशानिर्देश द्वारा निर्धारित अन्य नियम / प्रावधान / अधिनियम / .
		(iv) निर्णय लेने की समय सीमा, यदि कोई हो ।	तत्काल या निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्दिष्ट के रुप में ।

क्र.सं.	मदें	प्रकटीकरण का विवरण	प्रस्तावित जानकारी
		(v) पर्यवेक्षण एवं जवाबदेही का चैनल	**एनएसटीएफडीसी के निदेशक मंडल** **अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक** **कार्यात्मक विभागों के प्रमुख/प्रभारी**
1.4	कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड धारा [4(1)(ख)(iv)]	(i) प्रस्तावित कार्यों/सेवाओं की प्रकृति	निगम अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक उत्थान के लिए आय जनित गतिविधियों और विपणन सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है ।
		(ii) कार्यों/सेवा वितरण के लिए मानदंड /मानक	**मानदंडों का विवरण Website: www.nstfdc.tribal.gov.in पर उपलब्ध है । उसी का सारांश नीचे दिया गया है .** **1. पात्रता मानदण्ड:** एनएसटीएफडीसी से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड निम्नलिखित है:- **क. व्यक्तिगत/ स्व सहायता समूह:** आवेदक अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होना चाहिए । ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय 3,00,000/- रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए । **ख. <u>सहकारी समितियां:</u>** न्यूनतम 80% या ज्यादा सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होने चाहिए एवं आवेदकों की वार्षिक पारिवारिक आय, आय सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। सदस्यता में परिवर्तन के मामले में, उक्त सहकारी सोसायटी यह सुनिश्चित करेगी कि एनएसटीएफडीसी ऋण अवधि के दौरान अनुसूचित जनजाति सदस्यों का प्रतिशत 80% से कम न हो।
		(iii) प्रक्रिया जिसके द्वारा इन सेवाओं तक पहुंचा जा सकता है ।	**एनएसटीएफडीसी की संबंधित चैनेलाइजिंग एजेंसियों/एनएसटीएफडीसी के आंचलिक कार्यालयों से अतिरिक्त जानकारी के लिए संपर्क किया जा सकता है । सूची www.nstfdc.tribal.gov.in पर उपलब्ध है ।**
		(iv) लक्ष्य प्राप्ति के लिए समय सीमा	लागू नहीं:-हालांकि, प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात् जनजातीय कार्य के मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समय-सीमा तय की जाती है।

क्र.सं.	मदें	प्रकटीकरण का विवरण	प्रस्तावित जानकारी
		(v) शिकायतों के निवारण की प्रक्रिया।	सभी संबंधित से प्राप्त शिकायतों की जांच की जाती है और आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई की जाती है
1.5	कार्यों के निर्वाहन के लिए नियम,विनियम,अनुदेश, मैनुअल एवं अभिलेख [धारा 4(1)(ख)(v)]	(i) रिकार्ड/ मैनुअल/ अनुदेश का शीर्षक और प्रकृति ।	(क) कंपनी विभिन्न अधिनियमों अर्थात् कंपनी अधिनियम, 2013 आयकर अधिनियम आदि के अधीन नियंत्रित है ।
		(ii) नियमों विनियमों, अनुदेशों की पुस्तिकाओं और अभिलेखों की सूची ।	(ख) वित्तीय सहायता प्रदान करने के मानदंड वेबसाइट (www.nstfdc.tribal.gov.in) में तथा मैनुअल सं .4 में भी दिए गए हैं
		(iii) अधिनियम/नियम नियमावली आदि ।	(ग) कर्मचारियों की सेवा शर्तों के संबंध में नियम और विनियम इस प्रकार हैं: 1. एनएसटीएफडीसी भर्ती, पदोन्नति और वरिष्ठता नियम 2. एनएसटीएफडीसी आचरण, अनुशासन एवं अपील नियम 3. एनएसटीएफडीसी छुट्टी नियम, एनएसटीएफडीसी छुट्टी नकदीकरण नियम 4. एनएसटीएफडीसी चिकित्सा परिचर नियम तथा स्वास्थ्य जांच नियम 5. एनएसटीएफडीसी यात्रा भत्ता/ महंगाई भत्ता नियम 6. एनएसटीएफडीसी छुट्टी यात्रा रियायत नियम 7. एनएसटीएफडीसी गृह निर्माण अग्रिम नियम 8. एनएसटीएफडीसी वाहन अग्रिम नियम 9. एनएसटीएफडीसी सामान्य उद्देश्य ऋण 10. एनएसटीएफडीसी कंपनी पट्टा आवास नियम
		(iv) स्थानांतरण नीति और स्थानांतरण आदेश ।	आवश्यकतानुसार

क्र.सं.	मदें	प्रकटीकरण का विवरण	प्रस्तावित जानकारी
1.6	उन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण जो प्राधिकरण द्वारा रखी गई हैं अथवा इसके नियंत्रणाधीन हैं ।	(i) दस्तावेजों की श्रेणियां	1. **<u>वित्त संबंधी :</u>** कंपनी की खाता बहियाँ तथा संबंधित दस्तावेज विभिन्न अधिनियमों अर्थात् कंपनी अधिनियम, 2013 तथा आयकर अधिनियम के अनुसार रखे गए हैं । 2. **<u>परियोजना संबंधी :</u>** फाइलें जिनमें विभिन्न चैनेलाइजिंग एजेंसियों से प्राप्त प्रस्ताव, मंजूरियाँ, वितरण तथा निधि उपयोग, लंबित प्रस्ताव, जैसा भी मामला हो, 3. **<u>सचिवालय संबंधी</u>** : अभिलेखों/ दस्तावेजों को कंपनी अधिनियम, 2013 प्रावधान के अनुसार रखा जाता है और बनाए रखा जाता है । 4. **<u>कार्मिक एवं सतर्कता संबंधी</u>**: (क) कर्मचारियों से संबंधित सभी सेवा अभिलेख । (ख)अपने कर्मचारियों की सेवाओं को विनियमित करने के लिए बनाए गए नियम और विनियम । 5. **<u>प्रशासन एवं राजभाषा संबंधी</u>** : (क) प्रशासनिक मामले । (ख) राजभाषा अधिनियम ।
		(ii) दस्तावेज /श्रेणियों का संरक्षक	प्रभागों के प्रमुख
1.7	लोक प्राधिकरण के हिस्से के रूप में गठित किए गए बोर्ड, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों का विवरण [धारा 4(1)(ख)(viii)]	(i) बोर्ड,परिषद समितियों के नाम (ii) संघटन	**क. <u>एनएसटीएफडीसी के निदेशक मंडल का संघटन</u>** 1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 1 2. अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करने वाले गैर-सरकारी सदस्य 3 3. राज्य अनुसूचित जनजाति निगमों का प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति 1 (बारी-बारी से) 4. नाबार्ड का प्रतिनिधि 1

क्र.सं.	मदें	प्रकटीकरण का विवरण	प्रस्तावित जानकारी
			5. आईडीबीआई का प्रतिनिधि 1 6. कार्यकारी निदेशक, ट्राइफेड 1 7. संयुक्त सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय 1 8. संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय 1 निदेशक मंडल का निर्णय, कर्मचारियों आदि के कार्यों के निर्वहन तथा सेवाओं के विनियमन के प्रयोजन के लिए नियमों और विनियमों का रूप ले लेता है। **ऐसे नियमों/ मानदंडों से संबंधित सूचना जनता के लिए उपलब्ध है।** **(ख) समितियां:** आवश्यकता के आधार पर अंतर-विभागीय समितियों का गठन किया जाता है, जिनमें विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि होते हैं। इस समय इस संगठन में निम्नलिखित स्थायी समितियों का गठन किया गया है : **<u>निदेशकों की समिति</u> :** **(क) पारिश्रमिक समिति :** सरकारी उद्यम विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार केंद्र सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को कार्य-निष्पादन संबंधी वेतन (पीआरपी) पर विचार करने के लिए एक पारिश्रमिक समिति का गठन करना होता है, जिसके अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होंगे। निगम के निदेशक मंडल ने एक पारिश्रमिक समिति का गठन किया है, जिसमें एक स्वतंत्र निदेशक अध्यक्ष हैं और अन्य स्वतंत्र निदेशक सदस्य हैं। **(ख) <u>परियोजना अनापत्ति समिति (पीसीसी)</u>:** पीसीसी का गठन,एनएसटीएफडीसी से सहायता प्राप्त कार्यक्रमों के अंतर्गत ऋण एवं अनुदान मुहैया करने के लिए विभिन्न चैनेलाइजिंग एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों पर विचार करने और उनके संबंध में सिफारिशें करने के प्रयोजन से किया जाता है। **(ग) <u>निधि प्रबंधन समिति</u> :**इस समिति का गठन, निगम में उपलब्ध निधियों के निवेश पर अनुकूलतम प्राप्ति के प्रयोजन से किया जाता है।

क्र.सं.	मदें	प्रकटीकरण का विवरण	प्रस्तावित जानकारी
			(घ) **लेखा परीक्षा समिति:** डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार, एनएसटीएफडीसी में लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है। **(ङ) सीएसआर समिति :** कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुपालन में सीएसआर समिति का गठन किया गया है।
		iii) तारीखें जब से समिति का गठन हुआ	आवश्यकतानुसार (ख) परियोजना मंजूरी समिति (पीसीसी) और (ग) निवेश समिति - स्थापना के बाद से (क) पारिश्रमिक समिति - 18.08.2010 (डी) लेखा परीक्षा समिति - 04.07.2012 और (ई) सीएसआर समिति - 26.11.2014
		(iv) अवधि/कार्यकाल	निरंतर
		(v) शक्तियां एवं कार्य	शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार /वैधानिक प्रावधान।
		(i) क्या उनकी बैठकें जनता के लिए खुली हैं?	नहीं
		(ii) क्या बैठक कार्यवृत्त जनता के लिए खुले हैं?	नहीं
		(iii) बैठक कार्यवृत्त की जगह, यदि जनता के लिए खुली हैं ?	लागू नहीं

क्र.सं.	मदें	प्रकटीकरण का विवरण	प्रस्तावित जानकारी
1.8	अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका [धारा 4(1) (ख) (ix)]	(i) नाम एवं पदनाम	**सूची www.nstfdc.tribal.gov.in पर उपलब्ध है ।**
		(ii) टेलीफोन,फैक्स एवं ई मेल आईडी	**www.nstfdc.tribal.gov.in का संदर्भ लें ।**
1.9	मुआवजे की प्रणाली सहित अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक [धारा 4(1) (ख) (x)]	(i) कुल मासिक वेतन के साथ कर्मचारियों की सूची	**अनुलग्नक - "ख" अनुसार**
		(ii) विनियमों के अनुसार मुआवजे की प्रणाली	डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार ।
1.10	जनसूचना अधिकारियों के नाम,पदनाम एवं अन्य विवरण [धारा 4(1) (ख) (xvi)]	(i)लोक सूचना अधिकारी, सहायक लोक सूचना (ओ) और अपीलीय प्राधिकारी के नाम एवं पदनाम	- श्री आर.जे. कच्छप, महाप्रबंधक (परियोजना एवं कार्मिक एवं सतर्कता) एवं सीपीआईओ - श्री अनिल कुमार जुयाल, मुख्य महाप्रबंधक (वित्त), प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
		(ii) प्रत्येक नामित अधिकारी का पता,टेलीफोन नंबर एवं ई मेल आईडी	एनएसटीएफडीसी, हॉल नं.1, 5वीं मंजिल,एनबीसीसी टावर, 15 भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली - 110 066. सीपीआईओ,फोन नं. 011-26177046 फोन नं. 011-26712562 (प्रथम अपीलीय प्राधिकारी)
1.11	कर्मचारियों की संख्या जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की गई है(धारा 4(2))	कर्मचारियों की संख्या जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई है । (i) मामूली एवं कड़ी दंड कार्यवाही के लिए लंबित	शून्य
		(ii) मामूली एवं कड़ी दंड कार्यवाही के लिए अंतिम रुप दिया गया ।	शून्य

क्र.सं.	मदें	प्रकटीकरण का विवरण	प्रस्तावित जानकारी
1.12	आरटीआई की समझ को गहन करने हेतु कार्यक्रम (धारा 26)	(i) शैक्षिक कार्यक्रम	लागू नहीं होता
		(ii) सार्वजनिक प्राधिकरण को इन कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास	अधिकारियों को विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों जैसे आईएसटीएम, आदि द्वारा आयोजित आरटीआई पर अभिविन्यास और पुनश्चर्या कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
		(iii) सीपीआईओ/एपीआईओ को प्रशिक्षण	कोई नहीं ।
		(iv) संबंधित लोक प्राधिकरणों द्वारा आरटीआई पर दिशा निर्देशों को अद्यतन और प्रकाशित करना	लागू नहीं होता
1.13	स्थानांतरण पालिसी एवं स्थानांतरण आदेश [फा.नं. 1/6/2011- IR dt. 15.4.2013]		जैसाकि 1.5(i) में दिया गया है।

2. बजट एवं कार्यक्रम

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>मद</th><th>प्रकटीकरण का विवरण</th><th colspan="3">प्रस्तावित जानकारी</th></tr>
<tr><td rowspan="2">2.1</td><td rowspan="2">प्रत्येक एजेंसी को आबंटित बजट जिसमें सभी योजनाएं , प्रस्तावित व्यय</td><td rowspan="2">(i) लोक प्राधिकरण हेतु कुल बजट</td><td>क्र.सं.</td><td>बजट शीर्ष/राशि</td><td>उद्देश्य</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>क) <u>मंजूर बजट :</u> 350.00 करोड़ रुपए

ख)संवितरण <u>:</u> 373.28* करोड़ रुपए</td><td>i) मंत्रालयों / राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा नामित राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से ऋण मुहैया करने के लिए एनएसटीएफडीसी के अंश के रूप में ।</td></tr>
</table>

	और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट शामिल है [धारा4(1)(बी)(xi)]					**ii) मानदंड** प्रत्येक वित्त वर्ष के आरंभ में एनएसटीएफडीसी द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या (नवीनतम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार) के अनुपात में निधियां कल्पना के आधार पर आबंटित की जाती हैं। इसकी सूचना राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को दी जाती है। राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां निधि के प्रवाह को इस प्रकार सुनिश्चित करेंगी कि विभिन्न जिलों / क्षेत्रों, सेक्टरों और पुरुषों / स्त्रियों में उचित संतुलन बना रहे । यह संवितरण एनएसटीएफडीसी द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को उनसे अनुरोध प्राप्त होने पर किया जाता है।	
				2.	**विकासात्मक व्यय**		
					क)अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों हेतु प्रशिक्षण व्यय के लिए सीएसआर धनराशि 20.00 लाख रुपए । ख) एससीए के डेटाबेस के कम्प्यूटरीकरण और सॉफ्टवेयर लिंकेज व्यय के लिए अनुदान: 2.00 लाख रुपए है । ग) मूल्यांकन अध्ययन के लिए परामर्श शुल्क:10.00 लाख रुपए है।	क) एनएसटीएफडीसी, पात्र लाभार्थियों को प्रशिक्षण देने के लिए अनुदान के रूप में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को आवर्ती व्यय का 100 % प्रदान करता है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियां निधियों का लाभ उठाने का प्रयास करेंगी। ख) राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के डेटा बेस के कंप्यूटरीकरण के लिए प्रति राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी को 2.00 लाख रुपए तक का अनुदान एकबार मुहैया कराया जाता है। इसके अलावा इस प्रावधान में राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के साथ संबंधित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिंकेज का विकास करना भी शामिल है। ग) एनएसटीएफडीसी द्वारा सहायता प्राप्त योजनाओं के मूल्यांकन के लिए ।	

					घ) जागरूकता व्यय/ब्याज पर छूट/ यात्रा व्यय हेतु 140.00 लाख रुपए है।	घ) जमीनी स्तर पर एनएसटीएफडीसी के कार्यक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने और एससीए को समय पर पुनर्भुगतान करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ।
				3.	**पूंजीगत व्यय** **बजट 2024-25: 58.00 लाख रुपए है ।**	यह बजट प्रावधान कार्यालय उपस्करों, फर्नीचर, साफ्टवेयर डेवलपमेंट, ई अटेंडेंस और ई-ऑफिस के लिए किया गया है।

(ii) प्रति एजेंसी एवं योजना तथा कार्यक्रमों हेतु बजट

एनएसटीएफडीसी की प्रत्येक चैनलाइजिंग एजेंसी (एजेंसियों) को आवंटित निधियों तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वास्तविक) आंकड़ों का विवरण नीचे दिया गया है: (लाख रुपयों में)

क्र. सं.	**राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/ राज्य का नाम**	**वास्तविक मंजूरियां**			**अनुदान**		
		नोशनल आबंटन	**एनएसटीएफडीसी का अंश**	**संवितरण**	**नोशनल आबंटन**	**एनएसटीएफडीसी का अंश**	**संवितरण**
1	आंध प्रदेश अनुसूचित जनजाति सहकारी वित्त निगम लिमिटेड **आंध्र प्रदेश**	918.00			9.18		
2	स्त्रीनिधि आंध्र प्रदेश		6398.30	6000.00			
3	अंडमान एवं निकोबार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड **अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह**	50.00			0.50		

			4	अरुणाचल प्रदेश औद्योगिक एवं वित्त विकास निगम **अरुणाचल प्रदेश**	319.00			3.19		
			5	असम प्लेन ट्राइब्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड **असम**	1301.00			13.01		
			6	बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड **बिहार**	448.00			4.48		
			7	छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, **छत्तीसगढ़**	2620.00			26.20		
			8	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव एससी/एसटी अन्य बीसी और अल्पसंख्यक वित्त और विकास। कार्पोरेशन लिमिटेड **दादरा एवं नगर हवेली**	65.00			0.65		

				क्र. सं.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/ राज्य का नाम	वास्तविक मंजूरियां			अनुदान		
						नोशनल आबंटन	एनएसटीएफडीसी का अंश	संवितरण	नोशनल आबंटन	एनएसटीएफडीसी का अंश	संवितरण
				9	गोवा राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड **गोवा**	50.00			0.50		
				10	गुजरात जनजातीय विकास निगम **गुजरात**	2987.00	2928.57	4053.57	29.87		
				11	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विकास निगम **प्रदेश**	131.00	83.92	28.90	1.31		
				12	जम्मू और कश्मीर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम। **जम्मू और कश्मीर**	427.00	1101.60	1102.49	4.27		
				13	झारखंड राज्य जनजातीय सहकारी विकास	2896.00		17.94	28.96		

					निगम लिमिटेड **झारखंड**						
				14	कर्नाटक अनुसूचित जनजाति विकास निगम, **कर्नाटक**	1423.00			14.23		
				15	केरल राज्य विकास निगम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति लिमिटेड **केरल**	81.00	300.00	250.01	0.81		
				16	केरल राज्य महिला विकास निगम लिमिटेड **केरल**	81.00	272.40	203.70	0.81		
				17	लक्षद्वीप डेवलनमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड **लक्षद्वीप**	50.00			0.50		
				18	लद्दाख	73.00	73.53	73.53	0.73		
				19	म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम **मध्य प्रदेश**	5131.00			51.31		
				20	शबरी आदिवासी वित्त एवं विकास निगम, नासिक, **महाराष्ट्र**	3521.00	3742.20	524.88	35.21		

				21	मणिपुर जनजातीय विकास निगम लिमिटेड **मणिपुर**	302.00			3.02		
				22	मेघालय कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक लिमिटेड **मेघालय**	856.00	217.41	217.41	8.56		
				23	मिजोरम खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड **मिजोरम**	174.00			1.74		
				24	मिजोरम शहरी सहकारी विकास बैंक लिमिटेड **मिजोरम**	173.00			1.73		
				25	नागालैंड औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड **नागालैंड**	287.00			2.87		
				26	नागालैंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड **नागालैंड**	286.00			2.86		
				27	ओडिशा अनु.जा. अनुसूचित जनजाति विकास एवं वित्त सहकारी निगम लिमिटेड	3213.00			32.13		

					ओडिशा					
				28	राजस्थान अनु.जा./ अनु.ज.जा.वित्त एवं विकास सहकारी निगम **राजस्थान**	3095.00			30.95	
				29	सिक्किम अनु.जा., जनजाति और पिछड़ा वर्ग विकास निगम लिमिटेड **सिक्किम**	69.00	190.00	190.00	0.69	
				30	तमिलनाडु आदि द्रविड़ हाउसिंग एंड डेव. कॉर्पोरेशन लिमिटेड **तमिलनाडु**	266.00	649.35	649.35	2.66	
				क्र. सं.	**राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/ राज्य का नाम**	**वास्तविक मंजूरियां**			**अनुदान**	
						नोशनल आबंटन	**एनएसटीएफडीसी का अंश**	**संवितरण**	**नोशनल आबंटन**	**एनएसटीएफडीसी का अंश**
				31	स्त्रीनिधि – तेलंगाना	1067.00	5000.00	5000.00	10.67	

			32	त्रिपुरा अनुसूचित जनजाति सहकारी विकास निगम लिमिटेड **त्रिपुरा**	391.00	190.37	134.11	3.91		
			33	उत्तराखंड बहुउद्देश्य वित्त एवं विकास निगम **उत्तरांचल**	98.00			0.98		
			34	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, **उत्तर प्रदेश**	380.00			3.80		
			35	पश्चिम बंगाल अनु.जा. और अनु.ज.जा. विकास वित्त निगम **पश्चिम बंगाल**	887.00	693.00	867.75	8.87		
			36	पश्चिम बंगाल जनजातीय विकास सहकारी निगम, **पश्चिम बंगाल**	887.00	912.79	1218.24	8.87		
				कुल(ए):-	**35003.00**	**22753.44**	**20540.88**	**350.03**	**0.00**	**0.00**

पीएसयू बैंकों/आरआरबी के माध्यम से

क्र. सं.	राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसी/ राज्य का नाम	वास्तविक मंजूरियां			अनुदान		
		नोशनल आबंटन	एनएसटीएफडीसी का अंश	संवितरण	नोशनल आबंटन	एनएसटीएफडीसी का अंश	संवितरण
1	आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक **असम**						
2	अरुणाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक अरुणाचल प्रदेश						
3	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक छत्तीसगढ़		384.51	325.52			
4	एजीबी, गुजरात		22.21	22.21			
5	झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक, झारखण्ड		229.51	229.51			
6	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक कर्नाटक		1348.12	1348.12			
7	कर्नाटक ग्रामीण बैंक, बेल्लारी, कर्नाटक		500.00	500.00			
8	केरल ग्रामीण बैंक,केरल		313.09	231.09			
9	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, **मध्य प्रदेश**		888.74	888.74			

				10	वीकेजीबी,महाराष्ट्र		26.89	26.89			
				11	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक **मध्य प्रदेश**		1680.53	706.97			
				12	मणिपुर ग्रामीण बैंक **मणिपुर**		28.50	28.50			
				13	मेघालय ग्रामीण बैंक **मेघालय**						
				14	मिजोरम ग्रामीण बैंक **मिजोरम**		6889.13	6889.13			
				15	नागालैंड ग्रामीण बैंक,**नागालैंड**		319.85	319.85			
				16	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, **ओडिशा**		253.86	295.93			
				17	ओडिशा ग्रामीण बैंक **ओडिशा**			264.10			
				18	उत्कल ग्रामीण बैंक, **ओडिशा**		29.81	38.46			
				19	आरएमजीबी,**राजस्थान**		44.10	44.10			
				20	तमिलनाडु ग्रामीण बैंक, **तमिलनाडु**		470.67	470.67			
				21	तेलंगाना ग्रामीण बैंक **तेलंगाना**			140.00			

22	आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक, **तेलंगाना**							
23	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, **त्रिपुरा**		1559.66	1559.66				
24	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक **उत्तराखंड**		51.82	51.82				
25	बीजीवीबी, **पश्चिम बंगाल**			90.45				
26	बैंक ऑफ बडौदा		771.62	1691.37				
	कुल(ख):-		**15812.62**	**16072.64**				

<u>नबकिसान के माध्यम से</u>

1	आंध्र प्रदेश		14.99	14.99			
2	छत्तीसगढ़		82.00	82.00			
3	गुजरात		35.00	35.00			
4	मध्य प्रदेश		20.00	20.00			
5	महाराष्ट		15.99	15.99			
6	ओडिशा		285.07	285.07			
7	राजस्थान		16.00	16.00			
8	तमिलनाडू		80.00	80.00			
9	तेलंगाना		50.00	5.00			
10	उत्तराखंड		31.99	31.99			

				11	पश्चिम बंगाल		45.00	45.00			
					कुल(ग):-		**676.04**	**676.04**			
					कुल योग	**35003.00**	**39242.10**	**37327.70**	**350.03**		
		(iii) प्रस्तावित व्यय									
		(iv) प्रत्येक एजेंसी के लिए संशोधित बजट, यदि कोई है	लागू नहीं								
		(v) किए गए संवितरणों पर रिपोर्ट और वह स्थान जहां संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध हैं	उपरोक्त 2.1 (ii) के अनुसार								
2.2	विदेशी एवं घरेलू दौरे (फा. नं.. 1/ 8/2012- आईआर दि.11.9.2012)	(i) बजट	उपरोक्त 2.1 (i) के अनुसार								
		(ii) मंत्रालयों तथा संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ विभाग के प्रमुखों द्वारा विदेशी तथा घरेलू दौरे।	**अनुलग्नक- "ग" के अनुसार**								
		क) दौरे किए गए									

		स्थान ख) दौरों की अवधि ग)अधिकाधिक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों की संख्या घ)दौरे पर हुआ खर्च	
		(iii) खरीददारी से संबंधित जानकारी क) नोटिस/निविदा पूछताछ,एवं शुद्धिपत्र, यदि कोई हो । ख) दी गई बोलियों का विवरण जिसमें खरीदे गए सामान/ सेवाओं के आपूर्तिकर्त्ताओं के नाम शामिल हों। ग)समाप्त कार्य अनुबंध-उपरोक्त के किसी भी संयोजन में । घ) दर/दरें एवं कुल राशि , जिस पर ऐसी खरीद या कार्य अनुबंध निष्पादित	

		किया जाना है ।	
2.3	सब्सिडी कार्यक्रम के निष्पादन का तरीका [धारा4(i)(ख)(xii)]	(i) गतिविधि कार्यक्रम का नाम (ii)कार्यक्रम का उद्देश्य (iii) लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया (iv) कार्यक्रम / योजना की अवधि (v)कार्यक्रम के भौतिक और वित्तीय लक्ष्य (vi) सब्सिडी की प्रकृति/ पैमाना/ आबंटित राशि (vii) सब्सिडी प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड (viii) सब्सिडी कार्यक्रम के लाभार्थियों का विवरण(संख्या, प्रोफाइल आदि)	लागू नहीं
2.4	विवेकाधीन तथा गैर विवेकाधीन	(i) राज्य सरकार/गैर सरकारी संगठनों/ अन्य संस्थानों को	लागू नहीं

	अनुदान [फा. न.1/6/2011-आईआर दिनांक 15.04.2013]	विवेकाधीन और गैर-विवेकाधीन अनुदान/आवंटन	
		(ii) सभी कानूनी संस्थाओं के वार्षिक खाते जिन्हें सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अनुदान प्रदान किया जाता है ।	
2.5	रियायत प्राप्तकर्ताओं का विवरण, सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दिए गए प्राधिकरणों के परमिट[धारा 4(1) (ख) (xiii)]	(i) सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा दी गई रियायतें, परमिट या प्राधिकरण	लागू नहीं
		(ii) दिए गए प्रत्येक रियायत, परमिट या प्राधिकरण क)पात्रता मानदंड ख) रियायते/ अनुदान/ या प्राधिकरणों के परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया ग) रियायते/ परमिट या प्राधिकरण दिए गए प्राप्तकर्त्ताओं	लागू नहीं

		के नाम,पता घ)रियायतों/ प्राधिकार पत्रों के परमिट देने की तिथि	
2.6	सीएजी एवं पीएसी पैरा [फा नं. 1/6/2011-आईआर दिनांक . 15.4.2013]	सीएजी एवं पीएसी पैरा और संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखने के पश्चात की गई कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर)	जैसाकि वर्ष 2024-25 की वार्षिक रिपोर्ट में उल्लिखित है । यह रिपोर्ट वेबसाइट से डाऊनलोड की जा सकती है ।

3. प्रचार बैंड पब्लिक इंटरफेस

क्र.सं.	मद	प्रकटन का विवरण	प्रस्तावित सूचना
3.1	नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए किसी भी व्यवस्था के लिए विवरण [धारा 4(1)(ख)(vii)] [फा. नंबर 1/6/2011-आईआ दि.15.04.2013]	जनता के सदस्यों द्वारा परामर्श एवं प्रतिनिधित्व की व्यवस्था (i) प्रासंगिक अधिनियमों, नियमों, प्रपत्रों और अन्य दस्तावेज, जो आम तौर पर नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाते हैं।	लागू नहीं
		(ii) परामर्श तथा प्रतिनिधित्व के लिए व्यवस्था क) नीति निर्माण/नीति कार्यान्वयन में जनता के सदस्य । ख) आगंतुकों के लिए आबंटित दिन और समय ग) आरटीआई आवेदकों द्वारा अक्सर मांगे जाने वाले प्रकाशनों को दी जाने वाली सूचना तथा सुविधा काउंटर (आईएफसी) के संपर्क विवरण	लागू नहीं.

क्र.सं.	मद	प्रकटन का विवरण	प्रस्तावित सूचना
		सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) (i) विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) का विवरण, यदि कोई हो	लागू नहीं
		(ii) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)	लागू नहीं
		(iii) रियायत समझौते	लागू नहीं
		(iv) संचालन और रखरखाव नियमावली	लागू नहीं
		(v) पीपीपी के कार्यान्वयन के हिस्से के रुप में सृजित अन्य दस्तावेज	लागू नहीं
		(vi) शुल्क, टोल या अन्य प्रकार के राजस्व से संबंधित जानकारी, जो सरकार से प्राधिकरण के तहत एकत्र की जा सकती है	लागू नहीं
		(vii) आउटपुट एवं परिणामों से संबंधित जानकारी	लागू नहीं
		(viii) निजी क्षेत्र की पार्टी के चयन की प्रक्रिया रियायतग्राही आदि	लागू नहीं

क्र.सं.	मद	प्रकटन का विवरण	प्रस्तावित सूचना
		(ix) पीपीपी परियोजना के अंतर्गत किए गए सभी भुगतान	लागू नहीं
3.2	क्या जनता को प्रभावित करने वाली नीतियों/निर्णयों का विवरण उन्हें सूचित किया गया है [धारा 4(1) (ग)]	प्रक्रिया को और अधिक इंटरेक्टिव बनाने के लिए जनता को प्रभावित करने वाली महत्वपूर्ण नीतियों या निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें; (i) पिछले एक साल में लिए गए नीतिगत फैसले/कानून	लागू नहीं
		(ii) सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया की रुपरेखा	लागू नहीं
		(iii) नीति बनाने से पहले परामर्श की व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करें	लागू नहीं
3.3	व्यापक रूप से और ऐसे रूप और तरीके से सूचना का प्रसार जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो [धारा 4 (3)]	संचार के सबसे प्रभावी साधनों का उपयोग (i) इंटरनेट (वेबसाइट)	

क्र.सं.	मद	प्रकटन का विवरण	प्रस्तावित सूचना
3.4	सूचना मैनुअल/निशुल्क प्राप्त करने का प्रपत्र [धारा 4(1)(बी)]	सूचना मैनुअल / हैंडबुक इन प्रपत्रों में उपलब्ध है (i) इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र	हां
		(ii) प्रिंटेड प्रपत्र में	हां
3.5	क्या सूचना मैनुअल/ हैंडबुक निशुल्क उपलब्ध है या नहीं [धारा 4(1)(बी)]	उपलब्ध सामग्री की सूची (i) निशुल्क	जानकारी वेबसाइट में ऑनलाइन उपलब्ध है ।
		(ii) उचित कीमत पर	--

4. ई-गर्वनेंस

क्र.सं.	मद	प्रकटन का विवरण	प्रस्तावित सूचना
4.1	भाषा जिसमें सूचना मैनुअल/हैंडबुक उपलब्ध है [एफ नंबर 1/6/2011-आईआर दि. 15.4.2013]	(i) अंग्रेजी	अंग्रेजी
		(ii) स्थानीय भाषा/ स्थानीय भाषा	हिंदी
4.2	सूचना मैनुअल/ हैंडबुक को अंतिम बार कब अपडेट किया गया था? [फा. सं. 1/6/2011-आईआर दिनांक 15.4.2013]	वार्षिक अद्यतन की अंतिम तिथि	अद्यतन होने के अधीन

क्र.सं.	मद	प्रकटन का विवरण	प्रस्तावित सूचना
4.3	इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध जानकारी [धारा 4(1)(ख)(xiv)]	(i) इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध सूचना का विवरण	**www.nstfdc.tribal.gov.in**
		(ii) दस्तावेज़ का नाम/शीर्षक/रिकॉर्ड/अन्य जानकारी	
		(iii) स्थान जहां उपलब्ध है ।	
4.4	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण [धारा 4(1)(ख)(xv)]	(i) संकाय का नाम तथा स्थान	लागू नहीं
		(ii) उपलब्ध जानकारी का विवरण	लागू नहीं
		(iii) सुविधा के काम के घंटे	लागू नहीं
		(iv) संपर्क व्यक्ति तथा संपर्क विवरण (फोन,फैक्स,ई-मेल)	लागू नहीं

4.5	ऐसी अन्य जानकारी जो धारा 4(i)(ख)(xvii) के तहत निर्धारित की जा सकती है	(i) शिकायत निवारण तंत्र	बिंदु सं. 1.4 (v) में दिए गए सूचना के अनुसार
		(ii) आरटीआई के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का विवरण एवं उपलब्ध कराई गई जानकारी।	बिंदु सं. 4.6 में दिए गए सूचना के अनुसार
		(iii) पूर्ण योजनाओं/ परियोजनाओं/ कार्यक्रमों की सूची	लागू नहीं
		(iv) चल रही योजनाओं/ परियोजनाओं/कार्यक्रमों की सूची	लागू नहीं
		(v) सभी अनुबंधों का विवरण जिसमें ठेकेदार का नाम, अनुबंध की राशि और अनुबंध पूरा होने की अवधि शामिल हो ।	लागू नहीं
		(vi) वार्षिक रिपोर्ट	वेबसाइट में अपलोड किया गया है ।
		(vii) अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)	-

<table>
<tr><td></td><td></td><td>(viii) कोई अन्य जानकारी जैसे
क) सिटीजन चार्टर</td><td>लागू नहीं</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>ख) परिणाम फ्रेमवर्क दस्तावेज़ (आरएफडी)</td><td>लागू नहीं</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>ग)छह मासिक रिपोर्ट</td><td>लागू नहीं</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>घ) सिटीजन चार्टर में निर्धारित बेंचमार्क के विरुद्ध प्रदर्शन</td><td>लागू नहीं</td></tr>
<tr><td>4.6</td><td>आरटीआई आवेदनों और अपीलों की प्राप्ति और निपटान [फा.सं.1/ 6/ 2011आई आर दि. 15.04.2013]</td><td>(i) प्राप्त एवं निपटाए गए आवेदनों का विवरण</td><td>
वर्ष: 2024-25 (31 मार्च, 2025 तक))
<table>
<tr><th></th><th>दिनांक 1.04.2024 के अनुसार आरंभिक शेष राशि</th><th>धारा 6(3) के तहत अन्य पीए से स्थानांतरण के रूप में प्राप्त आवेदनों की संख्या)</th><th>वर्ष के दौरान प्राप्त (अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों से स्थानांतरित मामलों सहित)</th><th>अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणोंको हस्तांतरित मामलों की संख्या</th><th>निर्णय जहां अनुरोध / अपील खारिज कर दी गई</th><th>निर्णय जहां अनुरोध/अपील स्वीकार किए</th></tr>
<tr><td>अनुरोध</td><td>0</td><td>17</td><td>0</td><td>01</td><td>01</td><td>16</td></tr>
<tr><td>पहली अपील</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr>
</table>
<table>
<tr><td>उन मामलों की संख्या, जिनमें किसी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की गई</td><td>शून्य</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th>मनोनीत सीएपीआईओ की संख्या</th><th>मनोनीत सीएपीआईओ की संख्या</th><th>मनोनीत एए की संख्या</th></tr>
<tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

			कितनी बार अनुरोधों को अस्वीकार करते समय कितनी बार विभिन्न प्रावधानों को लागू किया गया सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की प्रासंगगिक धाराएं **धारा 8 (1)** | **धाराएं** **a** | **b** | **c** | **E** | **F** | **g** | **h** | **i** | **j** | **9** | **11** | **24** | **अन्य** - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - **एकत्रित शुल्क का विवरण (रुपयों में)** **पंजीकरण शुल्क की राशि** | **एकत्र अतिरिक्त शुल्क** | **सीआईसी द्वारा दिए गए निदेशों के अनुसार वसूल की गई दंड की रकम** 20.00 | 00 | शून्य
		(ii) प्राप्त अपीलों और जारी आदेशों का विवरण	3
4. 7	संसद में पूछे गए सवालों के जवाब [धारा 4(1)(घ)(2)]	पूछे गए प्रश्नों और दिए गए उत्तरों का विवरण	

5. सूचना,जैसा निर्धारित हो

क्र.सं.	**मद**	**प्रकटन का विवरण**	**प्रस्तावित सूचना**		
5.1	ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है [फा .सं. 1 / 2/2016-आईआर दि.17.8.2016] ,	(i) नाम एवं विवरण (क) वर्तमान सीपीआईओ और एफएए (ख) दि. 1.1.2015 से पहले के सीपीआईओ और एफएए	**1**	**अपीलीय प्राधिकारी**	**श्री अनिल कुमार जुयाल मुख्य महाप्रबंधक (वित्त)**
			2	**सीपीआईओ**	**श्री आर.जे.कच्छप महाप्रबंधक (कार्मिक एवं सतर्कता)**

	फा.नं. 1/6/2011-आईआर दि.15.04.2013)	(ii) स्वैच्छिक प्रकटीकरण के तृतीय पक्ष लेखापरीक्षा (क) की गई लेखापरीक्षा की तिथि (ख) की गई लेखापरीक्षा की रिपोर्ट	लेखा परीक्षा का कार्य आईएसटीएम को दिया गया है । जो प्रक्रियाधीन है ।
		(iii) नोडल अधिकारियों की नियुक्ति जो संयुक्त सचिव/ अतिरिक्त विभागाध्यक्ष के पद से नीचे न हो । (क) नियुक्ति की तिथि (ख)अधिकारियों के नाम एवं पदनाम	रिपोर्ट संलग्न है ।
		(iv) स्वत: प्रकटीकरण पर सलाह के लिए प्रमुख हित धारकों की परामर्श समिति (क) गठन की तिथियां (ख) अधिकारियों के नाम और पदनाम	लागू नहीं
		(v) आरटीआई के तहत अक्सर मांगी जाने वाली जानकारी की पहचान आरटीआई में समृद्ध अनुभव वाले पीआईओ/ एफएए की समिति (क) गठन की तिथियां (ख) अधिकारियों के नाम और	

		पदनाम	

6. स्वयं की पहल पर प्रकट की गई जानकारी

क्र.सं.	मद	प्रकटन का विवरण	प्रस्तावित सूचना
6.1	मद/सूचना का खुलासा किया जिससे जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए आरटीआई अधिनियम का कम से कम सहारा लेना पड़े		सूचना जैसे वार्षिक रिर्पोट, कंपनी वेबसाइट
6.2	भारत सरकार की वेबसाइटों (जीआईजीडब्ल्यू) के लिए दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है (फरवरी, 2009 में जारी किया गया और प्रशासनिक सुधार/ लोक शिकायत विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सचिवालय कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल (सीएसएमओपी) में शामिल किया गया)	(i) क्या एसटीक्यूसी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है तथा इसकी विधिमान्यता (ii) क्या वेबसाइट में प्रमाण-पत्र दर्शाता है ।	लागू नहीं